संख्या-14/2645सी0डी0/46-3-14-3(35)/2013 टी.सी.-II

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

विषयः- प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2013-14 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र / निगम की चीनी मिलों को रु0-6/- प्रति कुन्टल की दर से अनुमन्य अतिरिक्त सहायता/रियायतें के रुप में दिये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2013-14 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र / निगम की चीनी मिलों को रु0-6/- प्रति कुन्टल की दर से अनुमन्य अतिरिक्त सहायता/रियायतें, प्रतिपूर्ति के रुप में दिये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रु0-3,15,00,00,000/-(रुपया तीन अरब पन्द्रह करोड़ मात्र), की विधायी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त व्यवस्था के सापेक्ष् रु0-2,15,00,00,000/-(रुपया दो अरब पन्द्रह करोड़ मात्र), की धनराशि द्वितीय किश्त के रुप में, आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2195/ 46-3-14-3(35)/2013 टी.सी., दिनांक 09.09.2014, शासनादेश संख्या-2267/46-3-14-3(35) /2013 टी.सी., दिनांक 12.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-2617/46-3-14-3(35) /2013 टी.सी. दिनांक 28.10.2014 में दिये गये निर्देशों व निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिपूर्ति के रुप में चीनी मिलों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीक़त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

4- गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र/निगम की चीनी मिलों को रु0 6/- प्रति कुन्टल की दर से अनुमन्य अतिरिक्त सहायता/ रियायतों की प्रतिपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या-2307सी0डी0/46-3-14-3(35) /2013 टी.सी., दिनांक 19.09.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0-100.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि रु0-34,06,03,749.00 को दिनांक 31.03.2015 तक व्यय किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है, उसी के लिये किया जायेगा तथा इसका किसी भी दशा में अन्य किसी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक हो, तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

7- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर),गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-07-कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-750/दस-2014, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव ।

संख्या-14/2645(1)सी0डी0/46-3-14-3(35)/2013 टी.सी.-II, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in